

“आईडीएफ की मौत”: गाजा में अपराधों के लिए विघटन और जवाबदेही की मांग

शनिवार, 28 जून 2025 को, पंक जोड़ी बॉब वायलन ने ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में अपने प्रदर्शन के दौरान “आईडीएफ की मौत” के नारे लगाए। इस नारे की इजरायल समर्थक राजनेताओं और लॉबिंग समूहों ने व्यापक निंदा की, जिन्होंने इसे हिंसा भड़काने वाला बताया। हालांकि, यह व्याख्या नारे के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह निबंध तर्क देता है कि इस नारे को इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) को एक संस्था के रूप में भंग करने और युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, और ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की एक वैध और नैतिक रूप से तत्काल मांग के रूप में समझा जाना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नरसंहार के दायरे में आ सकते हैं।

अत्याचारों का पैमाना और प्रकृति

7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में विनाश और जानमाल के नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने 62,000 से अधिक प्रत्यक्ष मौतों की पुष्टि की है, जबकि व्यापक अनुमान कुल मृत्यु संख्या को 500,000 के करीब बताते हैं, जिसमें भुखमरी, स्वास्थ्य प्रणाली के पतन, और मलबे में दबे संभावित गैर-गिने गए व्यक्तियों के कारण होने वाली अप्रत्यक्ष मौतें शामिल हैं। 2024 में **लैंसेट** के एक अध्ययन ने 186,000 तक अप्रत्यक्ष मौतों का अनुमान लगाया, और हार्वर्ड के शोध ने 377,000 लापता व्यक्तियों को उजागर किया। इजरायल की नीति संबंधी बयानों में युद्ध-पूर्व गाजा की 2.3 मिलियन आबादी में से 1.8 मिलियन को स्थानांतरित करने की योजनाओं का उल्लेख जनसंख्या में भारी कमी का संकेत देता है। उपग्रह डेटा (स्टैटिस्टा, जून 2025) दिखाता है कि 70% इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं, 75% रहने योग्य नहीं हैं, और आधी मलबे में बदल चुकी हैं। बुनियादी ढांचे का विनाश—जिसमें अस्पताल, जल सुविधाएं, और स्वच्छता प्रणालियां शामिल हैं—25,000 व्यक्तियों, जिनमें से कई बच्चे हैं, के अंग-भंग के साथ, नरसंहार कन्वेंशन के कई मानदंडों को पूरा करता है: सामूहिक हत्याएं, गंभीर नुकसान पहुंचाना, आवश्यक जीवन स्थितियों का विनाश, पर्यावरणीय और चिकित्सा पतन के माध्यम से जन्म को रोकना, और जबरन विस्थापन।

ये परिणाम इजरायली सरकार की जानबूझकर की गई नीतियों का परिणाम हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सैन्य अभियानों की देखरेख की; वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने मानवीय सहायता में बाधा डाली; रक्षा मंत्री गैलेंट ने “मानव पशुओं” की घेराबंदी शुरू की; और विदेश मंत्री काटज ने विनाशकारी उपायों का समर्थन किया। आईडीएफ ने न केवल आदेशों का पालन किया, बल्कि अपने कार्यों का उत्सव भी मनाया। **हारेत्ज़** और **फैथम** की जांच से पता चलता है कि आईडीएफ की मनोवैज्ञानिक संचालन इकाइयां अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से फिलिस्तीनी पीड़ितों की ग्राफिक सामग्री को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित करती हैं। ये कार्य पृथक दुराचार को नहीं, बल्कि दंडमुक्ति और हिंसा की एक व्यवस्थित संस्कृति को दर्शाते हैं।

नारे की व्याख्या: एक राजनीतिक और कानूनी मांग

ग्लास्टनबरी में एक बड़ी भीड़ द्वारा दोहराया गया “आईडीएफ की मौत” नारा व्यक्तिगत सैनिकों के खिलाफ हिंसा का शाब्दिक आह्वान नहीं है। बल्कि, यह उस संस्था को भंग करने की मांग व्यक्त करता है जो व्यवस्थित रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल रही है। यह व्याख्या ऐतिहासिक मिसालों के अनुरूप है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा नाजी वेहरमाख्ट को भंग करने का निर्णय।

जिन सेनाओं ने सामूहिक अत्याचारों में भाग लिया हो, उन्हें भंग करने की मांग नई नहीं है। यह नारा आईडीएफ की परिचालन क्षमता को समाप्त करने और उन व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की नैतिक और कानूनी आवश्यकता का प्रतीक है जो उल्लंघनों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं—जिनमें सैन्य कमांडर, राजनीतिक नेता, और वे सैनिक शामिल हैं जिन्होंने अवैध कार्यों में भाग लिया या उन्हें सक्षम बनाया। यह एक सैन्य बल का प्रतीकात्मक और राजनीतिक अस्वीकरण है जो वर्तमान में गठित होने के नाते, कानून और मानवता की सीमाओं के बाहर काम करता है।

कानूनी संदर्भ: कब्जा, युद्ध नहीं

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 राज्यों द्वारा किए गए सशस्त्र हमलों के जवाब में आत्मरक्षा की अनुमति देता है, जो यहां लागू नहीं होता। गाजा को न तो इजरायल और न ही अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता

दी गई है, और हमारा को एक गैर-राज्य अभिनेता माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, इजरायल गाजा में कब्जा करने वाली शक्ति बना हुआ है, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन (1949) से बाध्य है, जो कब्जे वाली आबादी के खिलाफ सैन्य बल के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

घेराबंदी, बमबारी, और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने जैसी सैन्य कार्रवाइयां कन्वेंशन के अनुच्छेद 27 के तहत वैध पुलिसिंग के दायरे से बाहर हैं। प्रतिक्रिया का पैमाना—गाजा में अनुमानित 500,000 मौतें बनाम 7 अक्टूबर 2023 को 1,200 इजरायली पीड़ित—बल के अत्यधिक असमानुपातिक और अवैध उपयोग को दर्शाता है। यह संदर्भ इस दावे को मजबूत करता है कि इजरायल का आचरण आत्मरक्षा के लिए कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता, बल्कि एक अवैध कब्जा और संभावित नरसंहार कार्यों का गठन करता है।

ऐतिहासिक मिसाल: नूर्नबर्ग और व्यक्तिगत जवाबदेही

नूर्नबर्ग ट्रायल्स ने स्थापित किया कि आदेशों का पालन करना व्यक्तियों को युद्ध अपराधों या नरसंहार की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। लंदन चार्टर और नूर्नबर्ग सिद्धांत IV अवैध आदेशों की अवज्ञा करने की बाध्यता की पुष्टि करते हैं। ये सिद्धांत विश्व स्तर पर सैन्य संहिताओं को आधार प्रदान करते हैं, जिसमें आईडीएफ का अपना नैतिक ढांचा शामिल है, जो सैनिकों से अवैध आदेशों को अस्वीकार करने की अपेक्षा करता है।

अंतरराष्ट्रीय वकील इताय एपश्टाइन द्वारा प्रसारित दस्तावेज दिखाते हैं कि इजरायली सांसदों ने नागरिक बुनियादी ढांचे के विनाश और आवश्यकताओं से वंचित करने के आदेश दिए, जो स्पष्ट रूप से अवैध हैं। इन नीतियों को आईडीएफ द्वारा लागू करना—सोशल मीडिया पर डींग हांकने और उत्सवपूर्ण बयानबाजी के साथ—जानबूझकर और सचेत भागीदारी को दर्शाता है। ये कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभियोजित अपराधों की तरह हैं और व्यक्तिगत जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

विघटन के लिए नैतिक अनिवार्यता

जनवरी 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए अस्थायी उपायों और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा चल रही जांच के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय तंत्र अब तक व्यापक पीड़ा को रोकने में विफल रहे हैं। गाजा में अनुमानित मृत्यु संख्या और विनाश निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हैं: वर्तमान रूप में आईडीएफ का विघटन और सभी स्तरों पर उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना जो अपराधों को अंजाम देने या सक्षम करने के लिए जिम्मेदार हैं।

यह बदला लेने की पुकार नहीं है, बल्कि न्याय की है। युद्ध अपराधों को सुगम बनाने वाली संस्था का विघटन अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को मजबूत करेगा और भविष्य के अत्याचारों को रोकेगा। आईडीएफ की आंतरिक संस्कृति—जैसा कि विनाश के सार्वजनिक उत्सवों से प्रमाणित है—संस्थागत विघटन और कानूनी और नैतिक मानदंडों के तहत पुनर्गठन की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

बयानबाजी मानकों में पाखंड को संबोधित करना

ग्लास्टनबरी के नारे को उकसावे के रूप में चित्रित करना, जबकि इजरायली अधिकारियों और नागरिकों द्वारा कहीं अधिक स्पष्ट नफरत भरे भाषण को सहन करना, दोहरे मानदंड को उजागर करता है। कम से कम 2021 से, यरुशलम दिवस की परेड के दौरान, सरकारी हस्तियों जैसे इतामार बेन ग्विर सहित भीड़ ने “अरबों की मौत” का नारा लगाया, जो फिलिस्तीनियों पर शारीरिक हमलों के साथ था। ये नस्लीय नफरत के भाव ज्यादातर इजरायली सार्वजनिक प्रवचन में सामान्यीकृत हैं।

इसके विपरीत, ग्लास्टनबरी का नारा एक सैन्य संस्था को लक्षित करता है, न कि किसी नस्लीय या धार्मिक समूह को, और सामूहिक अत्याचारों में इसकी भागीदारी के कारण इसके विघटन की मांग करता है। इसे हिंसा के लिए उकसावे के साथ जोड़ना इसके सामग्री और इरादे को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है, जबकि कहीं और सहन की जाने वाली अधिक स्पष्ट और खतरनाक बयानबाजी को नजरअंदाज करना है।

प्रतिवादों का अनुमान लगाना

कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इजरायल की कार्रवाइयां हमस के हमलों के जवाब में रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, कब्जा करने वाली शक्तियों को संप्रभु राज्यों की तरह आत्मरक्षा का आह्वान करने का अधिकार नहीं है। असमानुपातिक प्रभाव, नागरिकों को निशाना बनाना, और हिंसा का प्रलेखित उत्सव वैध रक्षा के दावों को अमान्य करते हैं।

दूसरे लोग आईडीएफ के विघटन से उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अस्थिरता की चेतावनी दे सकते हैं। फिर भी, इतिहास दिखाता है कि दंडमुक्ति को सहन करने से गहरी अस्थिरता और और अत्याचार होते हैं। मित्र राष्ट्रों की होलोकास्ट के प्रति देर से प्रतिक्रिया की तरह, नरसंहार के सामने निष्क्रियता नैतिक और ऐतिहासिक विफलता बन जाती है।

निष्कर्ष

गाजा की घटनाएं 21वीं सदी के सबसे गंभीर मानवीय और कानूनी संकटों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनुमानित 500,000 मौतों के साथ, नेतन्याहू, स्मोट्रिच, गैलेंट, और काट्ज जैसे नेताओं द्वारा अधिकृत आईडीएफ के अभियान व्यवस्थित अत्याचारों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। “आईडीएफ की मौत” नारे को हिंसा के आह्वान के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार में शामिल एक सैन्य संस्था को भंग करने की राजनीतिक और कानूनी मांग के रूप में समझा जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए: वर्तमान रूप में आईडीएफ को भंग करना और इन अपराधों के लिए प्रदर्शनीय जिम्मेदारी वाले सभी व्यक्तियों, कमांडरों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक, को जवाबदेह ठहराना। ऐसा करने से यह सिद्धांत पुनः स्थापित होगा कि कोई भी सैन्य बल दंडमुक्ति के साथ कार्य नहीं कर सकता और नूर्नबर्ग की विरासत को बनाए रखेगा, जहां न्याय चुप्पी के माध्यम से नहीं, बल्कि जवाबदेही के माध्यम से प्रबल हुआ।